राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जय सिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर

F.1(a)59/Estt/Ins/Part-10-00131/ 2306-56 Dated 7-07-2023

समस्त अधिकारी / कर्मचारीगण,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
मुख्यालय, जयपुर / साधारण बीमा योजना /
आरजीएचएस / मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना /
संभागीय कार्यालय / जिला कार्यालय, राजस्थान।

विषयः— कनिष्ठ सहायकों की वरिष्ठता सूची में प्राप्त आक्षेप / अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक / लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा—2013 के चयनित अभ्यर्थियों को वरिष्ठता का लाभ भर्ती वर्ष की रिक्तियों के विज्ञापन के अनुसार दिया जाने एवं वर्ष 2013 के पश्चात नियुक्त मृतक आश्रित कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से पदोन्नत कनिष्ठ सहायकों से वरिष्ठ माना जाकर वरिष्ठता प्रदान करने हेतु प्राप्त आक्षेप / अभ्यावेदन के संबंध में लेख है कि कनिष्ठ सहायक / लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा—2013 के चयनित अभ्यर्थियों को वरिष्ठता का लाभ भर्ती वर्ष की रिक्तियों के विज्ञापन अनुसार दिया जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग से प्राप्त अभिमत के अनुसार विभाग में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 37 के अन्तर्गत निम्नानुसार वरिष्ठता प्रदान की गई है—

1. राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 37 के अन्तर्गत सेवा के काडर में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता इन नियमों के उप बिन्दुओं के अनुसार नियमित चयन के पश्चात पद पर **नियुक्ति की तारीख** से उप नियम 37(i) के अन्तर्गत उनकी मेरिट के आधार पर अवधारित की गई है।
2. राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 37 (iक) के अनुसार यदि एक ही वर्ष में सेवा के किसी पद पर दो या अधिक व्यक्ति नियुक्त किए गए हों तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ रखे गए हैं।
3. राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्त कनिष्ठ सहायक को कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1) कार्मिक (क—2) / 2013 दिनांक 02.06.2020 के अनुसरण में विभाग में कार्यग्रहण दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की गई है।

अतः विभाग में कार्यरत कार्मिकों द्वारा वरिष्ठता सूचियों पर प्रस्तुत आक्षेप / अभ्यावेदन का निस्तारण उक्तानुसार किया जाता है।

सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ. बी. सी. बधाल),
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Director
Date: 2023.07.07 15:56:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4064769